प्रा०पत्र का अवलोकन किया गया / बाद अवलोकन पाया गया कि न्याय हित में प्रार्थी वकील के उक्त प्रा०पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी वकील का प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश 9(4) का स्वीकार कर मूल वाद क्र. 72/2017 पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। मिसल फैसल शुमार हो कर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

Scanned by CamScanner